

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बाली

पीठासीन अधिकारी : जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 27 / 2022

अपीलाण्ट्स	बनान	रेस्पोंडेन्ट
डूंगरसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपुत निवासी सादडा तहसील बाली जिला पाली राज.		राजस्थान सरकार जरीये मून्दिहारी तहसीलदार बाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध प्रकरण संख्या
362/22 एवं 424/22 निर्णय दिनांक 28.02.2022

:- निर्णय:-

उपस्थिति : वकील अपीलांत उपस्थित

दिनांक: 23.01.2024

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांत श्री डूंगरसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपुत निवासी सादडा, तहसील बाली द्वारा अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत एक अपील प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार अपीलांत के विरुद्ध पटवार हल्का लाटाडा द्वारा रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया गया कि नौजा सादडा पटवार मंडल लाटाडा की सरहद में खसरा नंबर 425 रकबा 0.024 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकीन सड़क पर अपीलांत द्वारा संवत 2078 में अतिक्रमण करने पर हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर रेस्पोंडेंट तहसीलदार, बाली द्वारा अपीलांत के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही प्रारंभ की। तत्पश्चात बिना अपीलांत को सुने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत बेदखली के आदेश पारित किये गए तथा वार्षिक लगान रुपये 1 का 50 गुना 50 रुपये का जुर्माना आरोपित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांत द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।


अपीलांत ने अपनी अपील में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को मनमाना, अनुचित एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित पारित करना बताया एवं अपीलांत को उचित सुनने का अवसर व समय दिए बगैर बिना कानुनी प्रक्रिया अपनाये आदेश पारित किया है जो काबिल निरस्त योग्य होना बताया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी किए गए। तहसीलदार बाली अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल रेकॉर्ड प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। हमने अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्यों एवं अधीनस्थ न्यायालय के रेकॉर्ड का गहनता से अध्ययन किया। तदुपरांत इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नंबर 425 गैर मुमकीन सड़क पर अतिक्रमण बताते हुए निर्णय पारित किया है जो कि प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आता है। पत्रावली के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को सुनवाई का प्रयाप्त अवसर दिया गया है। अपीलांत ने अपील में यह कथन किया है कि पटवारी हल्का द्वारा सीमाकन स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है। जबकि तहसीलदार, द्वारा प्रस्तुत पटवारी हल्का, की फर्द से स्पष्ट है कि खसरा नंबर 380 के खातेदार द्वारा 160 वर्गमीटर एवं खसरा नंबर 378 के खातेदार द्वारा 228 वर्गमीटर भूमि पर निर्माण व कब्जा कर अतिक्रमण किया हुआ है। उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28 फरवरी 2022 को बहाल रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फौसल शुमार होकर दाखिल दफतर होंगे। अधीनस्थ न्यायालय को पालना हेतु निर्णय भिजवाया जावे।




23/1/24
(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला पाली